

कार्यालय – अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-वा0क0अधि0/आ0सो0-दस-4(घ)/ 1750 /2026 दिनांक- 25 मई, 2026

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान हेतु समूह "घ" के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सापेक्ष चतुर्थ श्रेणी के 95 मैनपावर सेवा आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या
-1/1339183/2026/2026/11-4099/16/2024 दिनांकित 22.05.2026 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान में आउटसोर्सिंग के आधार पर समूह "घ" चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मैनपावर सेवा आपूर्ति किये जाने के संबंध में पूर्व में गठित अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या
-1/1339183/2026/2026/11-4099/16/2024 दिनांक 22.05.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आउटसोर्सिंग के आधार पर 95 मैनपावर सेवा आपूर्ति किये जाने के संबंध में पूर्व में गठित अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में अवगत होते हुए अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ह0-25.05.2026
(रमेश चन्द- प्रथम)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः संख्या व दिनांक उक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- वरिष्ठ सहायक (लेखा) मुख्यालय।
 - 3- वरिष्ठ सहायक आलेखक-प्रालेखक-2 मुख्यालय।
 - 4- वरिष्ठ सहायक नाजिर / वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 5- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(चन्दना सिंह)

प्र0 निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।